रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 1987/फाल्गुन 28, 1908
No. 121] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 1987/PHALGUNA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च 1987

अधिसूचना

सं. 132/87—सीमाशुल्क

सा का नि 294(अ):— केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1987 के खंड 94, जो खंड अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1933 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि कर बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975

का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 98 के टिप्पण 7 के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल की इस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि वे साधारण उपयोग में आने वाले पुर्जे, हैं, इससे उपाबद्ध सारणी में वर्णित माल को उक्त खंड (ध्र) के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:—

सारणी

माल का वर्णन
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के निम्नलिखित शीर्ष संख्या या उपशीर्ष सं. के अंतर्गत आने वाली कोई वस्तु अर्थात् :—
(1) 84.07 और 84.08;
(2) 84.12, 84.13 और 84.14 (8412.90, 8413.91, 8413.92 और 8414.90 को छोड़कर)
(3) 84.81 (8481.90 को छोड़कर),
(4) 84.83 ;
(5) 85.01 और 85.04 (8504.90 को छोड़कर);
(6) 85.11 (8511.90 को छोड़कर) ,
(7) 85.18 (8518.90 को छोड़कर);
(8) 85.32 से 85 37 (8532.90 और 8533.90 को छोड़कर) ;
(9) 85.39 से 85.42 (8539.90, 8540.91, 8540.99 8541 90 और 8542.90 को छोड़कर) ;
(10) 85.44 से 85.47.

[एफ. सं. 348/11/87—टी आर यू]

टी. जयरामण, अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th March, 1987

NOTIFICATION

No. 132|87-CUSTOMS

G.S.R. 294(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Note 7 of Chapter 98 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with clause 94 of the Finance Bill, 1987, which clause has, by virtue of declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, having regard to the nature of goods being parts having general application, hereby notify the goods described in the Table hereto annexed for the purposes of the said clause (d).

TABLE

Description of goods
Any article falling under any of the following heading Nos. or sub-heading Nos. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), namely :—
(1) 84.07 and 84.08;
(2) 84.12, 84.13 and 84.14 (excluding 8412.90, 8413.91, 8413.92 and 8414.90);
(3) 84.81 (excluding 8481.90);
(4) 84.83;
(5) 85.01 and 85.04 (excluding 8504.90);
(6) 85.11 (excluding 8511.90);
(7) 85.18 (excluding 8518.90),
(8) 85.32 to 85.37 (excluding 8532.90 and 8533.90)

(9) 85.39 to 85.42 (excluding 8539.90, 8540.91, 8540.99, 8541.90 and 8542.90);

(10) 85.44 to 85.47.

[F. No. 348|11|87-TRU]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS RING ROAD NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054, 1987